राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर - 302004
फोन नं.: 0141- 2716804, 2716800 ई–मेल : member-secretary@rpcb.nic.in
हेल्पलाईन न. : 0141–2716877

2025 International Year of Cooperatives

ई–निविदा सूचना संख्या : ......03......../2025–2026

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत जयपुर शहर के विभिन्न 9 स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों के संचालन (Operation of Respirable Dust Sampler एवं $PM_{2.5}$ Sampler), उक्त उपकरणों के आस–पास सफाई, सुरक्षा एवं संरक्षण (Safety and Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air Sample), फील्ड डाटा शीट (Field Data Sheet) सहित विभिन्न कार्य यथा विश्लेषण इत्यादि कार्य अनुबंध के आधार पर कराने हेतु अनुभवी फर्मो/पंजीकृत संस्थाओं/एजेंसियों से दरें प्राप्त करने के लिए ई. बोली आमंत्रित की जाती है।

निविदा की अनुमानित लागत	निविदा शुल्क (Tender fee)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	बिड सिक्यूरिटी	ई–बिड प्रारम्भ होने की तिथि व समय	ई–बिड अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि व समय	ई–बिड़ खोलने की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6	7
रूपये 30.00 लाख	रूपये 500/– डी.डी.	रूपये 500/–	रूपये 60,000/–	दिनांक– 26.09.2025 समय– 03.00 PM	दिनांक– 10.10.2025 समय– 2.00 PM	दिनांक– 10.10.2025 समय– 4.00 PM

ई–बिड़ प्रपत्र एवं विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb or eproc.rajasthan.gov.in एवं उपापन पोर्टल http:sppp.rajasthan.gov.in पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है। बिड शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के नाम से एवं निविदा प्रक्रिया शुल्क प्रबंधक निदेशक, RISL के पक्ष में देय होगा। Bid प्रपत्र फीस, निविदा प्रक्रिया शुल्क (Bid processing fee) तथा बिड सिक्यूरिटी राशि के डी.डी. के बिना बिड स्वीकार्य नहीं होगी।

UBN..........................

सदस्य सचिव

क्रमांक एफ.11 (423)/रा.प्र.नि.म./प्रयोशाला/ 172-174 दिनांकः– 26-9-2025

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बोली सूचना का प्रकाशन एक क्षेत्रीय, एक राज्य स्तरीय 50 हजार ओर अधिक प्रतियों का परिचालन वाले मुख्य दैनिक क्षेत्रीय समाचार पत्र में करवाने का श्रम करें।
2. प्रभारी अधिकारी, आई. टी. शाखा, को बोली सूचना को उक्तानुसार वांछित वेबसाइटों पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
3. नोटिस बोर्ड , राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।

सदस्य सचिव

o/c

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर - 302004
फोन नं.: 0141-2716804, 2716800 ई–मेल : member-secretary@rpcb.nic.in
हेल्पलाईन न. : 0141–2716877

International Year of Cooperatives 2025

कमांक एफ.11 (423)/रा.प्र.नि.म./प्रयोशाला/ दिनांकः

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. उपापन प्राधिकारी का नाम– मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, के. प्रयो., रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. बोली प्रस्तुत करने वाले का नाम/फर्म का नामः ....
3. पूरा पताः ....
   ....
4. संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम : ....
   ....
   ....एवं प्रमाणित हस्ताक्षर
5. निविदादाता का दूरभाषा संख्या/लेडलाइन नं.................................मोबाइल नं...
6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत की किया जायेगा पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ लगानी होगी।

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1	राजस्थान अनुवंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का वचन पत्र			
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952			
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948			
4	वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.)			
5	आयकर–पेन नम्बर			
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थानअधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अर्न्तगत			

7. Address proof ....
8. Managing Director, राजकॉम्प इनफो सर्विस लिमिटेड (RISL) के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट रूपये 500/– प्रति बोली Processing Fees) क्रमांक.........................दिनांक ....
9. बोली प्रपत्र शुल्क 500/– रूपये /डी.डी./बैंकर चैक कमांक.......................दिनांक............

वी.एस.परिहार
...िक अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर - 302004
फोन नं.: 0141-2716804, 2716800 ई–मेल : member-secretary@rpcb.nic.in
हेल्पलाईन न. : 0141–2716877

International Year of Cooperatives 2025

10. बिड सिक्योरिटि डी.डी. राशि–60,000/–रूपये, डी.डी. कमांक......................दिनांक............
11. मैं/हम उपरोक्त ई–बिड सूचना संख्या..दिनांक.................................के संबंध में संविदा पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु एतद द्वारा निम्न दरे प्रस्तुत करता हूँ (प्रपत्र में संलग्न Annexure-"A" वित्तीय बोली–प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी)।
12. **टर्न ओवरः**– बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 03 वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर रूपये 30 लाख होना चाहिए। जिसके समर्थन में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा UDIN No. सहित प्रमाणित पत्र की प्रति, बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी। सम्बन्धित वर्षो की ITR प्रस्तुत करनी होगी।
13. **अनुभवः**– ठेकेदार/फर्म को पिछले 5 वित्तीय वर्षो (2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में न्यूनतम 2 वित्तीय वर्षो का सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक उपक्रमो में परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम अथवा अन्य वैज्ञानिक कार्य जिसमें नमूनों (सेम्पल) के एकत्रिकरण/विश्लेषण के लिये कर्मचारी आपूर्ति कराने का सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनुभव होना आवश्यक हैं। अनुभव का प्रमाण पत्र (जो कि सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया गया हो) बोली पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
14. मैं/हम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर द्वारा जारी की गयी बोली सूचना कमांक एफ.11 (423)/रा.प्र.नि.म./प्रयोशाला............................दिनांक.........................में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गयी उक्त बोली सूचना की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/ करते हैं एवं जिनके स्वीकार किए जाने के प्रमाण में बोली प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।
15. निविदा, कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर पूर्व की दरों पर RTPP नियमों के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
16. बिड़ में वांछित श्रमिक का कार्य टेक्नीकल प्रवृति का है, अतः इसके लिए वांछित योग्यता के श्रमिक उपलब्ध कराने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं सफलतम बिड़दाता द्वारा श्रमिकों की योग्यता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मनोज कुमार मीणा
वैज्ञानिक अधिकारी

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

वी.एस.परिहार
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर - 302004
फोन नं.: 0141- 2716804, 2716800 ई–मेल : member-secretary@rpcb.nic.in
हेल्पलाईन न. : 0141–2716877

2025 International Year of Cooperatives

बिड़ से संबंधित कार्य का विवरण एवं श्रमिकों की योग्यता के संबंध में विवरण

कमांक	स्थान का नाम	प्रयोगशाला का नाम व पता जहॉ नमूने जमा कराने है।
1.	Recreation Center, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	केन्द्रीय प्रयोगशाला, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
2.	PHED Office, अजमेरी गेट, जयपुर	
3.	RSEB Office, चांदपोल/ब्रह्मपुरी पुलिस थाना, जयपुर	
4.	रा.प्र.नि.मं. मुख्यालय,झालाना डूंगरी, जयपुर	
5.	क्षेत्रीय कार्यालय भवन, रा.प्र.नि.मं., जयपुर (उत्तर), सीकर रोड़, जयपुर	
6.	रीको कार्यालय, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	
7.	रीको कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, बाईस गोदाम, जयपुर	
8.	रीको कार्यालय , औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर	
9.	नगर निगम कार्यालय मानसरोवर, जयपुर	

उक्त प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) की संख्या नौ से अधिक की जा सकती है।

1. परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र पर **वैज्ञानिक सहायक** तथा **क्षेत्र सहायक** के अपेक्षित कार्यः–

- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) जयपुर स्थित (09) स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों के चालन, (Operation of Respirable Dust Sampler एवं PM2.5 Sampler), उक्त उपकरणों के आस–पास सफाई, रक्षा एवं सुरक्षित रखने (Safety And Security), वायु नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण (Collection and Analysis of Air Samples), संबंधित आंकड़ो का रिकॉर्ड रखना (Ambient Air Quality Monitoring Data Sheet) एवं निर्देशानुसार वायु नमूनों का हस्तान्तरण (Hand over)/परिवहन करना। Sample (नमूना) के परिवहन के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नही होगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रबोधन केन्द्रो के स्थानों को परिवर्तित भी किया जा रहा सकता है। मापन किये जाने वाले वायु प्रदूषकों तथा मशीनों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
- निर्धारित स्टेशनों पर मण्डल द्वारा उपलब्ध करायी गयी मशीनों का सुचारू रूप से संचालन करना।

मनोज कुमार मीणा

वी.एस.परिहार
वैज्ञानिक अधिकारी

- परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधत कार्यकम के कुशल संचालन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के अतिरिक्त मण्डल द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले विभिन्न कार्यों का समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करना।
- प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station), प्रत्येक सप्ताह में दो दिवस 24 घन्टे के लिए चलाया जायेगा।
- वांछित कार्य सम्पादन के लिए 8 घन्टे प्रति पारी (6:00 AM से 2:00 PM, 2:00 PM से 10:00 PM एवं 10:00 PM से 6:00 AM) के संचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) नियुक्त किया जायेगा।

2. मण्डल द्वारा विशेष परिस्थिति एवं त्यौहार यथा दीपावली के दौरान आवश्यक होने पर किन्ही चुनिंदा स्थानों/उपरोक्त लिखित प्रबोधन केन्द्र (केन्द्रो) पर सप्ताह में दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। इन कार्यो का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।
3. वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की न्यूनटम शौक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर (विज्ञान) तथा क्षेत्र सहायक (Field Assistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
4. शहर में परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन हेतु (Air Quality Monitoring Stations) ठेकेदार के कर्मियों द्वारा संचालित किये जायेंगे।
5. राज्य मंडल के सक्षम अधिकारियों को समय–समय पर कार्य का निरिक्षण करने का अधिकार होगा, जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का ठेकेदार/संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।

परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यकम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य की शर्ते :

- बोलीदाता को जयपुर शहर के 9 प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) पर कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- **ठेकेदार/फर्म को पिछले 5 वित्तीय वर्षो (2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में न्यूनतम 2 वित्तीय वर्षो का सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक उपक्रमो में परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यकम अथवा अन्य वैज्ञानिक कार्य जिसमें नमूनों (सेम्पल) के एकत्रिकरण/विश्लेषण**

मनोज कुमार मीणा

वी.एस.परिहार
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी

के लिये कर्मचारी आपूर्ति कराने का सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनुभव होना आवश्यक हैं। अनुभव का प्रमाण पत्र (जो कि सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया गया हो) बोली पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

- सदस्य सचिव को अधिकार होगा कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में 7 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त कर सके। इस बारे में अनुबन्धकर्ता किसी भी हर्जे–खर्चे की मांग नहीं कर सकेगा एवं जमा करायी गयी कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी एवं RTPP Act and Rules के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बोली या संलग्न दस्तावेजों में कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, जयपुर को होगा।
- विभाग किसी भी बोली अथवा समस्त बोलीयों को बिना कारण बताते अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिए न्यूनतम दर की बोली स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
- बोली के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
- बिड दो स्टेज–तकनीकी एवं वित्तीय बिड के रूप में प्रस्तुत की जानी है, वित्तीय बिड, प्रपत्र में संलग्न Annexure-"A" में प्रस्तुत की जानी है जो तकनीकी रूप से सफल बिडदाताओं की ही खोली जायेगी।
- बिड प्रपत्र शुल्क//RISL फीस एवं बिड सिक्यूरिटी राशि का DD दिनांक 10.10.2025 को समय 2.00 PM तक राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, जयपुर में पहुच जाने चाहिए। प्राप्त बोली दिनांक 10.10.2025 को समय 4.00 PM पर उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। सर्वप्रथम तकनीकी बोली को खोला जायेगा। तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं की ही वितीय बोली खोली जायेगी, जिसकी सूचना वेबसाइट पर प्रस्तुत की जायेगी।
- वित् विभाग के परिपत्र 3/2013 दिनांक 04.12.2013 के अनुसार संलग्न किये जाने है:

  Annexure B: Compliance with the code of integrity and no conflict of interest.

  Annexure C: Declaration by the bidder regarding qualifications.

  Annexure D: Grievances redressal during procurement process.

  Annexure E: Additional conditions of the contract.

डॉ. मनोज कुमार मीणा
परीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी

वी.एस.परिहार
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी

उक्त संलग्न, बोली प्रपत्र का हिस्सा होंगे तथा इन सभी पर हस्ताक्षर करने होंगे। Annexure D में अपील का प्रारूप है।

- वितीय बोली में सफल पाये गये बोलीदाता को निम्नानुसार बोली का 5 प्रतिशत कार्य संपादन राशि एवं 500/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र निर्धारित अवधि में भरकर प्रस्तुत करना होगा।
- बोली प्रपत्र एवं हस्ताक्षर युक्त समस्त दस्तावेज Website-eprock पर ही प्रस्तुत (अपलोड) की जानी है।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत वायु नमूना संग्रहण (Ambient Air Monitoring) आंकड़ा प्रतिवेदन पत्र (Data Sheet) सहित केन्द्रीय प्रयोगशाला को वायु नमूना परिवहन के कार्य हेतु ठेका एक वर्ष के लिए दिया जावेगा। ठेके की अवधि में कार्य उत्कृष्ट पाये जाने स्थिति में ठेका आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
- प्रबोधन कार्य के संचालन/सम्पादन हेतु मशीन, उपकरण, रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of equipment, supply of Absorbing Solutions, Filter Papers) आदि मण्डल प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत, सर्विस (Servicing and Repairing) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की कर्तव्य निष्ठा, सुचारू रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा।
- क्षेत्र सहायक (Field Assistant)/एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन में रूकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मको, फिल्टर पेपर, आकड़ा संग्रह आदि को क्षति पहुंचाने या दुरूपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि/उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।
- ठेकेदार को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग में स्थायी खाता संख्या एवं GST में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे।

डॉ. मनोज कुमार मीणा
प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी

वी.एस.परिहार
वैज्ञानिक अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर - 302004

फोन नं.: 0141-2716804, 2716800 ई–मेल : member-secretary@rpcb.nic.in

हेल्पलाईन न. : 0141–2716877

- कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यों को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
- कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- ठेकेदार प्रतिमाह मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी या सक्षम अधिकारी से मासिक बिल प्रमाणित करायेगा। मण्डल द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया जायेगा।
- ठेके की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर, इस विवाद के सम्बन्ध में प्रथम अपील अधिकारी, सदस्य सचिव तथा द्वितीय अपील अधिकारी, अध्यक्ष, रा० प्र० नि० म०, जयपुर होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्ते:

1. ठेकेदार/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा।
2. इस बोली के तहत कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था द्वारा निर्धारित योग्यताधारी व्यक्तियों को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित व्यक्तियों को राज्य मंडल द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा।
3. ठेकेदार/संस्था द्वारा इस प्रकार नियोजित समस्त व्यक्तियों के आचरण की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/संस्था की होगी तथा उसकी अनुशंषा पर ही उसके कर्मियों के मण्डल कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/परिचय –पत्र बनाए जायेगें। प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के लिये (ठेकेदार/संस्था के प्रतिनिधि सहित) मण्डल कार्यालय का प्रवेश पत्र रखना आवश्यक होगा।

डॉ. मनोज कुमार मीणा
प्रशिक्षण वैज्ञानिक अधिकारी

वी.एस.परिहार
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी

4. प्रबोधन केन्द्र के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
5. ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्रीय सकायकों एवं वैज्ञानिक सहायकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
6. ठेकेदार/संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायलय द्वारा अपराध–सिद्ध दोषी, सजायाफता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा। **इस हेतु पुलिस सत्यापन रिर्पोट प्रस्तुत करनी होगी।**
7. ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि मण्डल सम्पति, स्टेशन पर स्थापित उपकरण, विभिन्न रसायनों, अभिकर्मकों आदि को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संस्था को करनी होगी। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय सहायकों एवं वैज्ञानिक सहायकों के बीमा की जरूरत होती है तो वह संवेदक स्वंय करायेगा।
8. ठेकेदार/संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
9. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के सम्बन्ध में विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा। राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
10. प्रभावी श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं (ESI) और सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने, एवं अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान मण्डल कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
11. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है।
12. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक संबंधी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा तथा मण्डल कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
13. उक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों/RTPP Act and Rules की शर्ते व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होंगे।

डॉ. मनोज कुमार मीणा
परीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी

वी.एस.परिहार
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर - 302004
फोन नं.: 0141- 2716804, 2716800 ई–मेल : member-secretary@rpcb.nic.in
हेल्पलाईन न. : 0141–2716877

International Year of Cooperatives 2025

14. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायलय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किया जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो। किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
15. मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त कार्य का कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेंगी।
16. इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होगी तथापि अनुबन्ध की अवधि में कमी अथवा बढोतरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
17. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद के सम्बन्ध में प्रथम अपील अधिकारी, सदस्य सचिव तथा द्वितीय अपील अधिकारी, अध्यक्ष, रा० प्र० नि० म०, जयपुर होंगे एवं इस विवाद पर अध्यक्ष, रा० प्र० नि० म०, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा एवं ठेकेदार एवं राज्य मण्डल आपसी सहमति से अनुबन्ध को एक वर्ष के लिए निविदा की शर्तो एवं दरों पर बढ़ा सकते है।
18. ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Field Assistant) द्वारा नमूनें के एकत्रिकरण के कार्य में प्रतिदिन केन्द्रीय प्रयोगशाला प्रभारी के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आकडा प्रतिवेदन (Collected Sample and Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा।

शास्ति (Penalty)

- ठेकेदार/ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आंकडा प्रतिवेदन एवं नमूनों को केन्द्रीय प्रयोगशाला में समय पर जमा नहीं कराने पर उस दिन की भुगतान (Payment) की जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जायेंगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उस दिनों को भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुना राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।

डॉ. मनोज कुमार मीणा
अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी

वी.एस.परिहार
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर - 302004
फोन नं.: 0141-2716804, 2716800 ई–मेल : member-secretary@rpcb.nic.in
हेल्पलाईन न. : 0141–2716877

International Year of Cooperatives 2025

- लगातार सात कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त करी जायेगी तथा जोखिम पर कार्य अन्य संस्था से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
- सफल बोलीदाता द्वारा करार के पश्चात बोली की किसी भी शर्त का उल्लघंन प्रमाणित होने पर बोली दाता के विरूद्ध शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जायेगी। यह शास्ति (Penalty) शर्तो में वर्णित अन्य शास्ति (Penalty) के अतिरिक्त देय होगी।
- ठेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति (Payment or Security) राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।

19. आगामी माह का बिल का भुगतान गत माह की E.S.I., P.F. के जमा की चालान की प्रतिलिपि मय सूची प्रस्तुत करने पर ही, किया जायेगा।
20. सफलतम बिड़दाता द्वारा श्रमिकों को देय निर्धारित राशि के भुगतान की अनुपालना सुनिश्चत करनी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम : ....
पता : ....

दिनांक :

डॉ. मनोज कुमार मीणा
प्रदूषण वैज्ञानिक अधिकारी

वी.एस.परिहार
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर - 302004
फोन नं.: 0141- 2716804, 2716800 ई–मेल : member-secretary@rpcb.nic.in
हेल्पलाईन न. : 0141–2716877

2025 International Year of Cooperatives

Annexure-"A"

वित्तीय बोली–प्रपत्र

क्र. स.	सेवा का नाम व श्रमिक श्रेणी	श्रमिकों की सख्यां	आर.एस.पी.सी.बी. (RSPCB) द्वारा संरक्षित न्यूनतम दर प्रति माह प्रति इकाई	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज प्रति माह प्रति इकाई (राशि पूर्ण रूपये में ही स्वीकार्य होगी)।	EPF दर प्रति माह /प्रति इकाई	ESI दर प्रति माह /प्रति इकाई	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वैज्ञानिक सहायक	2	22840		13%	-	
2.	क्षेत्र सहायक	9	18760		13%	3.25%	

1. CPCB के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक के अनुसार राशि श्रमिकों को देने हेतु बिड प्रपत्र के वित्तीय बिड के कॉलम संख्या 4 में पारिश्रमिक राशियां निर्धारित कर राज्य मण्डल द्वारा दर संरक्षित की गई है।
2. **क्र.सं. 01 के लिए 26,000 तथा क्र.सं. 2 के लिए 22000/– रूपये अधिकतम कुल राशि CPCB द्वारा निर्धारित है, इससे अधिक राशि किसी भी रूप में देय नहीं है।**
3. उपयुर्क्त तालिका में संवेदक द्वारा कॉलम 5 में ही राशि अकिंत की जायेगी तथा राशि पूर्ण रूपयों में अंकित करने पर ही बिड स्वीकार्य होगी। शेष कॉलमों की पूर्तिया इस कार्यालय द्वारा ही बोली दस्तावेजों में अकिंत कर उपलब्ध कराई गई है। L–1 का निर्धारण कॉलम 8 के आधार पर किया जायेगा।
4. बोलीदाता/संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
5. एक से अधिक बोली दाताओं द्वारा कॉलम 8 में समान राशि प्राप्त होने पर उस बोलीदाता को प्राथमिकता मिलेगी जिस बोली दाता का वित्तिय वर्ष 2021–2022, 2022–2023 और 2023–24 में वार्षिक टर्न ओवर सबसे अधिक होगा। तत्पश्चात उस फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी जिस फर्म का अनुभव सबसे अधिक होगा।

डॉ. मनोज कुमार मीणा
परीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी

वी.एस.परिहार
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

Annexure B: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any correction including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) Disclose conflict of interest, if any; and
(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest: -

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
d. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

डॉ. मनोज कुमार मीणा
अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी

वी.एस.परिहार
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी

Annexure C: Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ………………for procurement of.......................................in response to their Notice Inviting Bids No………………………..Dated ....I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Biding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specification in the Bidding Document;
3. I/We have are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conducted or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specification in the Act, Rules and the bidding Document, which material affects fair competition;

डॉ. मनोज ...र मीणा
अधीक्षण वैज्ञा... अधिकारी

Date:
Place:

वी.एस.परिहार
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure D: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and the address of the first Appellate Authority is MS, RSPCB
The designation and the address of the second Appellate Authority is CP, RSPCB

(1) Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Providing that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filled only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidder Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely: -

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for Filling Appeal

(a) Fee for first appeal shall be two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

डॉ. मनोज कुमार मीणा

वी.एस.परिहार
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date of fix hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

डॉ. मनोज कुमार मीणा
अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी

वी.एस.परिहार
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी

Annexure E: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quality, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion in the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case in the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accepted the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Deceleration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to very Quantities.

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

डॉ. मनोज कुमार मीणा
अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी

वी.एस.परिहार
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी